संख्या-543/2021/4037/41-2021-08(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 26 अक्टूबर 2021**

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना ***(परिवर्तित नाम मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत "जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास "*** की परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु संयुक्त रूप से नामित कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को प्रदान की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित अपने पत्र सं0-3879/मु0मं0घो0/ 2018-19 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन रू0-4361.79 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक- 08 जनवरी 2021 में परीक्षण /मूल्यांकन कराये जाने के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित /अनुमोदित लागत के अनुसार रू0 3949.06 लाख (रूपये उन्तालिस करोड उनचास लाख छह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 593.00 (रूपये पांच करोड तिरानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा निर्गत की गई है। **तदनन्तर शासनादेश संख्या-127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा परियोजना का नाम परिवर्तित कर *मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत "जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास* " किया गया है।** उक्त पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी बहराईच के पत्र सं0-414/मा0मु0मं0घो0 /नि0कार्य0 /2021 दिनांक 27-08-2021 में की गई संस्तुति के क्रम में शासनादेश सं0-411/2021/2456/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 31-08-2021 द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया :-

(1) **जिलाधिकारी ,बहराईच की आख्यानुसार संबंधित ठेकेदार जिसे आंशिक कार्य आवंटित कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है ,उससे एग्रीमेंट/वर्क आर्डर की प्रतिलिपि लेकर कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0को समयबद्ध रूप से दि0-30 नवम्बर 2021 तक गुणवत्तापरक कार्य किये जाने के निर्देश जारी कर दिये जायें।**

(2) **प्रायोजना के अवशेष कार्य ,जिनका कार्यादेश जारी नहीं हुआ है एवं मौके पर कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ,उसके संदर्भ में महाप्रबंधक ,सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक-303/जी0एम0(एन-10)पर्यटन /14 दिनांक 27-8-21 द्वारा व्यक्त की गई सहमति के क्रम में एतद्द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है । उक्त क्रम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम से समयबद्धता की वचनबद्धता प्राप्त कर जी जायेगी।**

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन के पत्र सं0-3879/मु0मं0घो0/ 2018-19 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक- 346/जी0एम0(एन0-10)/पर्यटन/22 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30-9-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र में यह अवगत कराया गया है कि इस परियोजना हेतु रू0-3949.06 लाख की कुल लागत के सापेक्ष सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा संपादित कराये जाने वाले कार्यों की लागत रू0-3601.51 लाख है। प्रायोजना के कार्यों को दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कराने हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को रू0-2822.97 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अक्टूबर 2021 में 14.00 करोड/ नवम्बर 2021 में रू0-8.00 करोड एवं दिसम्बर 2021 में रू0-6.00 करोड की आवश्यकता बताई गई है। तदनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई मांग के आधार पर महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु प्रतिमाह की आवश्यकता के आधार पर रू0-2800.00 लाख की धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई मांग एवं लागत के विवरण से यह विदित हो रहा है कि प्रायोजना की कुल लागत रू0-3949.06 लाख में से उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की लागत 347.55 लाख है । अतः महानिदेशक पर्यटन द्वारा उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा किये जाने वाले कार्य की लागत की पुष्टि करते हुये प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-593.00 लाख में से उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 का अंश घटाकर अवशेष धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0जल निगम के पक्ष में जारी किये जाने वाले कार्यादेश में मूल स्वीकृति के स्वीकृति शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 में अंकित समस्त शर्तों का भी उल्लेख /समावेश करते अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त इस प्रायोजना के कार्यों को समयबद्ध रूप से दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कराये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था- सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की सूचित की गई लागत रू0-3601.51 लाख के क्रम में सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को प्रथम किश्त के अवशेष के रूप में रू0-654.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त संसूचित लागत की निदेशालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि कर ली जायेगी।

5- इस संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् लागू रहेंगी:-

(1) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना हेतु 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है, अत: महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत मेमोरियल बिल्डिंग में इंटीरियर कार्यमद में विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर कार्य सम्मिलित हैं एवं साथ ही वाह्य विद्युतीकरण कार्य में प्रस्तावित पोल एवं लाइटें भी विशिष्टि प्रकृति के कार्य हैं । अतः इनकी आवश्यकता/औचित्य/ स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग . उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे । यह समिति इन कार्यमदों की आवश्यकता/औचित्य/स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी ।

(4) प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति में लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रायोजनान्तर्गत गजेबो/सैण्ड स्टोन बेंच/एम०एस० बेंच/डस्टबिन/ड्रिंकिंग वाटर फाउण्टेन/ चिल्ड्रेन प्ले एप्रेटस तथा ए0 सी0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किये जाने के कारण इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है । अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर लागत दरें प्राप्त करेगी तथा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 का होगा । प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(5) प्रायोजनान्तर्गत लागत का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। प्रस्तावित प्राविधान एवं डिजाइन में संशोधन अथवा स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशसन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(8) प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की द्विरावृत्ति रोकने की दृष्टि से महानिदेशक पर्यटन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(12) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(13) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(15) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक ,विशिष्टियों एवं सम्यक अनुरक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(18) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(19) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- प्रस्तर-4(2) में परियोजना हेतु प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास- 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- व्यय वित्त समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में प्रायोजनान्तर्गत मेमोरियल बिल्डिंग में इंटीरियर कार्यमद में विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर कार्य, वाह्य विद्युतीकरण कार्य में प्रस्तावित पोल एवं लाइटों के विशिष्ट कार्य की आवश्यकता , औचित्य, स्पेसीफिकेशन एवं लागत के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश सं0-131/2020/766/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 17-02-2021 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति कार्य कराने से पूर्व इन कार्यमदों की आवश्यकता ,औचित्य, स्पेसीफिकेशन, एवं लागत के संबंध में परीक्षण कर संतुष्ट हो लेगी । इस संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही महानिदेशक पर्यटन /संबंधित अधिकारी के स्तर से यथासमय सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल/जिलाधिकारी , बहराईच।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबंधक(अयोध्या अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,मेडिकल कालेज इकाई ,बहराईच।
9- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
10- महाप्रबंधक(नि-10) सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
12- उप निदेशक पर्यटन अयोध्या।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in